



Government of India

भारतीय मानक ब्यूरो

ग्राहक वृत्तकारण सभिवलय, अकार मत्तु सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार

भारतीय मानक ब्यूरो

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Government of India

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति
Licence for the use of STANDARD MARK

लाइसेंस सं. सीएम/एल

Licence No. CM/L- 6200272095

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (11 ऑफ 2016) द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर, ब्यूरो एतद्वारा निम्नलिखित को यह अधिकार प्रदान करता है:

एस सी प्रिंट पैक प्राइवेट लिमिटेड

256, 8वीं क्रॉस, 4थ फेज पीन्या इंडस्ट्रियल एरिया, बेंगलुरु, बेंगलुरु अर्बन, कर्नाटक, 560058, पीन्या स्मॉल इंडस्ट्रीज, - 560058, कर्नाटक, भारत

(इसके बाद 'लाइसेंसी' कहा जाएगा) यह लाइसेंस, इस शेड्यूल के पहले कॉलम में बताए गए 'स्टैंडर्ड मार्क' का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। यह मार्क उन किस्मों पर या उनके संबंध में इस्तेमाल किया जाएगा जो शेड्यूल के तीसरे कॉलम में बताई गई हैं और जिन्हें शेड्यूल के दूसरे कॉलम में बताए गए संबंधित भारतीय स्टैंडर्ड (समय-समय पर संशोधित या बदले गए) के अनुसार बनाया गया है या जो उनके अनुरूप हैं।

By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 2016 (11 of 2016) the BUREAU hereby grants to

ESS CEE PRINT PACK PRIVATE LIMITED

256, 8TH CROSS, 4TH PHASE PEENYA INDUSTRIAL AREA, Bengaluru, Bengaluru Urban, Karnataka, 560058, PEENYA SMALL INDUSTRIES, - 560058, Karnataka, India

(hereinafter called the Licensee) this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस लाइसेंस के तहत लाइसेंस-धारक पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ और शर्तें लागू होती हैं, जिनका विवरण इसके साथ लगे अनुलग्नक (Annexure) में दिया गया है। यह लाइसेंस शेड्यूल में बताए गए नाम, फ़ैक्टरी के पते और अवधि के लिए मान्य होगा और इसे स्कीम-I में बताए गए तरीके से रिन्यू (नवीनीकृत) किया जा सकता है।

2. This licence carries the obligations on the part of licence as condition of licence which are given in Annexure attached herewith. The licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the scheme-I